International Journal of Applied Research 2017; 3(7): 1198-1200

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2017; 3(7): 1198-1200
www.allresearchjournal.com
Received: 19-05-2017
Accepted: 20-06-2017

ललित कुमार
शोधार्थी पीएच डी, शिक्षा विभाग, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

Correspondence
ललित कुमार
शोधार्थी पीएच डी, शिक्षा विभाग, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

सामाजिक पहचान में कानूनी प्रावधानों के मायने : भारतीय ट्रान्सजेंडर समुदाय के विशेष संदर्भ में अध्ययन

ललित कुमार

सार
इस शोधपत्र का उद्देश्य सामाजिक पहचान में कानूनी प्रावधानों की भूमिका का अध्ययन करना है विशेषकर ट्रान्सजेंडर समुदाय की सामाजिक पहचान में कानूनी प्रावधानों की भूमिका का अध्ययन करना है। इस शोधपत्र में ट्रान्सजेंडर समुदाय की भारतीय समाज में उपस्थिति का प्राचीन समय से लेकर वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। सामाजिक पहचान को प्रभावित करने में कानूनी प्रावधान किस रूप में भूमिका अदा करते है ? इस प्रक्रिया का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्दः सामाजिक पहचान, कानूनी प्रावधान, ट्रान्सजेंडर, समुदाय।

प्रस्तवाना
सामाजिक पहचान टर्म से हम सभी भलीभाँति से परिचित है और इस टर्म को लगभग हम सभी आसानी से परिभाषित भी कर सकते है लेकिन क्या सामाजिक पहचान को इतनी आसानी से परिभाषित किया जा सकता है जितनी आसानी से हम इसे परिभाषित करने का प्रयास करते हैं ? क्या हमारी सामाजिक पहचान को किसी एक परिभाषा में समेटा जा सकता हैं? क्या हमारी एक सामाजिक पहचान है या फिर हम अपने आप में असंख्य पहचानों को समेटे हुए है ? ये सब सवाल सोचने में बड़े ही हल्के फुल्के प्रतीत होते है लेकिन जितने हल्के फुल्के ये सवाल लगते हैं उसे अधिक वजनदार इनके जवाब होंगे।
हमारी सामाजिक पहचान की शुरुआत कहाँ से मानी जा सकती है? जन्म होने के बाद हम सभी को सबसे पहली पहचान लैंगिक पहचान के रूप में मिलती है जैसे जब कोई नवजात शिशु जन्म लेता है तो सबसे पहला सवाल यह होता है कि क्या हुआ ? मतलब लड़का या लड़की ?ये वास्तव में जैविक लिंग आधारित पहचान उस नवजात शिशु की सामाजिक पहचान की शुरुआत है जिसे इस दुनिया में आए हुए अभी कुछ ही पल हुए है। बाद में यही जैविक लिंग आधारित पहचान हमारी अन्य पहचानों का आधार बन जाती है। सवाल ये है कि क्या हमारी सामाजिक पहचान पर कानूनी प्रावधानों के कोई मायने है ? आज भारतीय समाज में ट्रान्सजेंडर को हेय कि दृष्टि से देखा जाता है। आज उनकी सामाजिक पहचान आपकी और मेरी सामाजिक पहचान से अलग है। क्या हमेशा से उनकी सामाजिक पहचान ऐसी थी ? उनकी वर्तमान सामाजिक पहचान में सवैधानिक कानूनी प्रावधाओं की क्या भूमिका रही है?
यहाँ पर यह स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है कि ट्रान्सजेंडर टर्म का उपयोग किस संदर्भ में किया जा रहा है। ट्रान्सजेंडर टर्म को अनेक संदर्भों में प्रयुक्त किया जाता है लेकिन यहाँ पर ट्रान्सजेंडर टर्म का उपयोग हिजड़ा समुदाय के संदर्भ में किया जा रहा हैं। यदि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2014 के एतिहासिक निर्णय को पढ़े तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि भारतीय संदर्भ में ट्रान्सजेंडर शब्द का प्रयोग हिजड़ाधकिन्नर समुदाय के लिए किया जाएगा । इस शोधपत्र में ट्रान्सजेंडर टर्म का प्रयोग हिजड़ा/किन्नर समुदाय के लिए किया जा रहा है ।

भारतीय समाज में ट्रान्सजेंडर समुदाय उपस्थिति का एतिहासिक दृष्टि से अध्ययन
यदि हम ट्रान्सजेंडर के भारतीय समुदाय में अस्तित्व के इतिहास पर नजर डाले तो चौंकने वाले तथ्य सामने आते है। भारतीय समाज में ट्रान्सजेंडर समुदाय की स्वीकृति थी। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में कहा गया है विकृतिः एवम् प्रकृति अर्थात विकृति भी प्रकृति है। यहाँ पर ट्रान्सजेंडर के अस्थित्व को स्वीकारा गया है (कावी, 1998)। एक अन्य प्राचीन ग्रंथ कामसूत्र के अध्याय चार में तृतीय प्रकृति का विवरण दिया गया है (शर्मा, 2012) [8]।

रामायण में रामचन्द्र द्वारा ट्रान्सजेंडर समुदाय को समाज में सम्मान जनक स्थान दिया जाने का जिक्र है हालाँकि ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है (नन्दा, 1990) [5]। महाभारत में बृहन्नला, इरावना और शिखंडी का वर्णन हमें मिलता है (शर्मा, 2012) [8]। यदि हम सल्तनत और मुगल काल पर गौर करें तो ट्रान्सजेंडर को दरबार में उच्च स्थान प्राप्त था उदाहरण के लिए मलिक काफुर को अल्लाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति बनाया था जिसने उस समय लगभग सम्पूर्ण भारत को जीत लिया था। यदि हम 18वीं शताब्दी के मराठा दस्तावेजों पर गौर करे तो इन दस्तवेजों में ट्रान्सजेंडर समुदाय को वतन जागीर प्राप्त होने का उल्लेख मिलता है (पेरस्टोन, 1987, प०373–378) [7]। सवाल उठता है जब समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था तो फिर एकदम से स्थिति कैसे बदल गयी?

भारत में ब्रिटिश शासनरू कानून का शासन एवं उसके ट्रान्सजेंडर समुदाय की सामाजिक पहचान पर प्रभाव

18 वीं शताब्दी भारतीय समाज में तेजी से होने वाले बदलावों की सदी थी। भारत में अग्रेजी शासन अपने साथ एक नयी व्यवस्था लेकर आया जिसे रूल ऑफ लॉ के नाम से जाना जाता है। यह वास्तव में एक नयी तरह की व्यवस्था थी जिसने ये कहाँ कि कानून सर्वोपरि है और कानून के समक्ष सभी समान है। इस कानून व्यवस्था कि सबसे अहम कड़ी इंडियन पेनल कोड है जिसे रचना में लॉर्ड मकौले का अहम योगदान रहा। 1860 ईस्वी में लॉर्ड मकौले द्वारा इंडियन पेनल कोड का प्रारूप तैयार किया और 1860 में ही ब्रिटिश भारत में इसे लागू कर दिया गया। इंडियन पेनल कोड के दो कानूनी प्रावधानों ने भारतीय समाज के हिजड़ा समुदाय की सामाजिक पहचान को नया आयाम प्रदान किया जो पहले की स्थिति से अधिक विकृत थी। ये हैं इंडियन पेनल कोड की धारा 377 और क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871। पहले पहल तो अंग्रेज शासक ये समझ ही नहीं पाये की ट्रान्सजेंडर समुदाय है क्या? 1871 ईस्वी में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया गया और इसके अधीन ट्रान्सजेंडर को रखा गया। 1897 ईस्वी में इस कानून में बड़ा बदलाव किया गया इसमें सब–टाइटल जोड़ा गया एन एक्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल ट्राइब एंड यूनक्स किया गया (भा० स० न्यायालय निर्णय, 2014, प० स०12–13)। धारा 377 कि भूमिका भारत में ट्रान्सजेंडर समुदाय के वर्तमान सामाजिक पहचान को आकार देने में अहम थी और आज भी है।

आजाद भारत में कानूनी प्रावधान एवं ट्रान्सजेंडर समुदाय की सामाजिक पहचान में भूमिका

15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आजाद होता है और भारतवासी अपने लिए गणतंत्रीय प्रणाली को अपनाते हैं। गणतंत्रीय प्रणाली की अपनी विशिष्टता यह है कि इस व्यवस्था में कानून का शासन सर्वोपरि होता हैं और कानून नागरिकों को अधिकारों को प्रदान करने का वचन देता हैं। साथ ही साथ उनके अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी देता हैं। यदि हम भारतीय संविधान की प्रस्तावन पर गौर करें तो न्याय, स्वतन्त्रता, समता, बंधुता (भा० स०, पृ० स० 01) कुछ ऐसे प्रमुख शब्द है जो हमारे संविधान का आधार माने जा सकते हैं। संविधान का भाग तीन मूल अधिकारों से संबंधित है जिसके तहत अनुछेद 14 से 35 तक विभिन्न अधिकारों का वर्णन किया गया हैं। इन सभी अनुछेदों में से कुछ अनुछेद मानवीय गरिमा से सीधे संबंधित हैं। ये है अनुछेद 14, 15, 19, 21 व 21 (क)।

- अनुच्छेद 14 :– भारतीय गणराज्य विधि के समक्ष सभी भारतीय नागरिकों की समानता की बात करता हैं (भा० स०, पृ० स० 8)।
- अनुच्छेद 15:– किसी भी भारतीय नागरिक के साथ धर्म,मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है(भा० स०, पृ० स० 08)।
- अनुच्छेद 19 (1):– सभी भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांति पूर्ण रूप से बिना हथियारों के सम्मेलन करने, संघ बनाने, भारतीय राज्यक्षेत्र में निर्बाध रूप से विचरण करने का अधिकार प्रदान करता है(भा० स०, पृ० स० 11)।
- अनुच्छेद 21:– प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार (भा० स०, पृ० स० 13)।
- अनुच्छेद 21(क):– शिक्षा का अधिकार (भा० स०, पृ० स० 13)

इन सभी अधिकारों के बावजूद ट्रान्सजेंडर समुदाय अपने मूल अधिकारों से क्यों वंचित है? क्योंकि भारतीय राज्य कानूनी रूप से केवल स्त्री एवं पुरुष को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान करता हैं। इसी लैंगिक पहचान के बल पर भारतीय राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली तमाम सुविधाओं का उपभोग भारतीय नागरिकों कर पाते हैं (साथशिवम, 2011, पृ० स० 02) [4]। हम सभी के पास विभिन्न प्रकार के पहचान पत्र है और उन्हें हम सभी लोगों ने बड़ी ही आसानी से हासिल किया है लेकिन एक ऐसा इंसान जिसे ना स्त्री माना जाता है और ना है पुरुष की श्रेणी में रखा जाता है, वह कैसे इन पहचान पत्रों को हासिल कर सकेगा? वह कैसे सरकार की विभिन्न जनकल्याण योजनों का लाभ उठा पाएगा?

15 अप्रैल 2014 भारतीय समाज के लिए एतिहासिक दिन था। इसी दिन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिजड़ाधकिन्नर समुदाय को तृतीय लिंग के रूप में कानूनी रूप से मान्यता प्रदान की। साथ ही साथ यह भी स्वीकार किया कि भारतीय नागरिक होने के नाते और एक इंसान होने के नाते जो अधिकार किनारध हिजड़ा समुदाय को प्राप्त होने चाहिए वो प्राप्त नहीं हुए। 68 साल बाद भूल को सुधारते हुए ट्रान्सजेंडर के रूप में किन्नर / हिजड़ा समुदाय को ट्रान्सजेंडर के रूप में मान्यता प्रदान की गयी। साथ ही साथ इस समुदाय की शैक्षिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए सरकार को दिशानिर्देशित किया गया(भा० स० न्यायालय निर्णय, 2014, पृ० स० 110)। लेकिन कोई खास बदलाव नजर नहीं आए क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा कोई एतिहासिक निर्णय आया है। भारत सरकार द्वार लंबे समय तक इस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जिस सरकार का दायित्व प्रत्येक भारतीय नागरिक के नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, वह काफी समय तक मौन रही। 12 दिसम्बर 2014 में राज्यसभा में विपक्ष के संसद सदस्य तिरुचि शिवा द्वारा प्राइवेट बिल पेश किया गया जिसे द राइट्स ऑफ ट्रान्सजेंडर पर्सन बिल 2014 के नाम से जाना जाता है (द राइट्स ऑफ ट्रान्सजेंडर पर्सन बिल 2014, पृ० स०1–15)। यह बिल 24 अप्रैल 2015 में सर्व सहमति से पास किया गया लेकिन सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया कि सरकार ट्रान्सजेंडर समुदाय के हितो के प्रति सजग है और वह एक बेहतर बिल ट्रान्सजेंडर समुदाय के अधिकारों के लिए लेकर आएगी। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिकता मंत्रालय द्वारा ट्रान्सजेंडर राइट्स बिल 2016 तैयार किया गया एवं इस पर विचार जानने के लिए जनता के बीच रखा गया। इस बिल में न केवल सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों की अनदेखी की गयी है बल्कि ट्रान्सजेंडर बिल 2014 के सुझावों को अनदेखा किया गया है (गोविंदराजन, द डिप्लोमट, 12 अगस्त 2016) [2]। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि ट्रान्सजेंडर समुदाय का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। अधिकारों के लिए ट्रान्सजेंडर समुदाय को अभी बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी होगी।

निष्कर्ष

उपरोक्त अध्ययन से हमने यह समझने का प्रयास कि भारतीय समाज में ट्रान्सजेंडर समुदाय की ब्रिटिश शासन से पूर्व क्या स्थिति थी। हमने ये भी समझने का प्रयास किया की कैसे ब्रिटिश शासन के दोरान कानूनी प्रावधानों ने ट्रान्सजेंडर समुदाय की सामाजिक पहचान को न केवल प्रभावित किया अपितु उसे नया रूप प्रदान करने में भी अहम भूमिका अदा की। हमने यह भी समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से आजादी के बाद के कानूनी प्रावधानों ने ट्रान्सजेंडर समुदाय को संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखने में भूमिका निभाई। हमने यह भी जानने का प्रयास किया कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के 15 अप्रैल 2014 के निर्णय से ट्रान्सजेंडर समुदाय के सामाजिक उथान की उम्मीद जगी है लेकिन जैसा की ट्रान्सजेंडर समुदाय के अधिकारों से संबंधित दो बिलों के अध्ययन से पता चलता है कि अभी और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। ट्रान्सजेंडर समुदाय के उथान के लिए हमें केवल कानूनी प्रावधानों पर ही जोर नहीं देना है बल्कि समाज में प्रचलित धारणाओं को खंडित करने के लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. Constitution of India. Published by Government of India, Ministry of Law and Justice (Legislative Department), New Delhi, 2015.
2. Govindarajan P. India's Transgender Rights Bill: Progress or Just More Ignorance?, The Diplomat, 2016.
3. Indian Penal Code. Government of India, Ministry of Law and Justice. New Delhi.
4. Justice Sathasivam P. Rights of Transgender People-Senitising Officers to Provide Access to Justice, Lecture Delivered on Refresher Course for Civil Judge (Junior Division)-I batch at Tamil Nadu State Judicial Academy on 12.02.2011.
5. Nanda Serena. Neither Man Nor Woman: The Hijras of India, Belmont, CA: Wadsworth Publishing, 1990.
6. Kavi AR. Expose the hindu Taliban!. Rediff.com. Retrieved, 2017.
7. Preston W. Laurence, A Right to Exist: Eunuchs and The State in Nineteenth Century India, Modern Asian Studies Cambridge University Press, 1987; 21(2):371-387.
8. Sharma Preeti. Historicial Background and Legal Status of Third Gender in Indian Society. IJRESS, 2012; 2(12).
9. Singh Jaspal. (Compiler) Indian Penal Code, Delhi: Pioneer Publications, 1981; 2(320):1068-1069.
10. The rights of transgender persons bill, 2014.
11. The Supreme Court of India Civil Original Jurisdiction Writ Petition (Civil) No. 400 of 2012. National Legal Service Authority Versus Union of India and Other with Writ Petition (Civil) No. 604 of 2013, 2014.